**रक्षा मंत्रालय**

**(संयुक्त सचिव एवम् मु प्र अ का कार्यालय)**

**परिपत्र**

विगत कुछ दिनों से यह संज्ञान में आया है कि दिल्ली एवम् राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (NCR) में स्थित केन्द्रीय सरकारी आवासीय परिसर में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित आवास को उपकिराएदारी पर देने के मामले बढ़ते जा रहे हैं । सक्षम प्राधिकारी ने इस कदाचार को गंभीरता से लिया है जिसके लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15-ए के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी संपदा निदेशालय से आवंटित आवास को उपकिराएदारी पर, लीज पर अथवा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को रहने हेतु नहीं दे सकता है ।

अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि संदर्भित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के उल्लंघन के लिए दीर्घ (Major) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किया जाए, जिसमें संदर्भित कर्मचारी पर सेवा से निकाले जाने की शास्ति (Dismissal from service) भी अधिरोपित की जा सकती है ।

अतः यह अनुरोध किया जाता है कि इस कदाचार के दुष्परिणाम के बारे में सभी कार्मिकों को जागरुक किया जाए जिससे कि इस बढ़ते हुए कदाचार को रोका जा सके ।

(सुलभ रस्तोगी)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
विभागीय अनुशासन

मुप्रअ कार्यालय के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) के शाखाओं के सभी समन्वय अनुभाग
एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (वायुसेना)/पीसी (समन्वय)
एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डी.ओ.ए(सीव)
सभी अंतर सेवा संगठन (आई.एस.ओ.)

---

मु.प्र.अ., वि.अनु. मिसिल सं. ए/26907/मुप्रअ/विअनु/18 दिनांक 15 मार्च 2018

प्रतिलिपिः-

मुप्रअ/ई डी पी सेल - मुप्रअ कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
मुप्रअ कार्यालय सूचना पट्ट